(461)

बिहार सरकार
शिक्षा विभाग।

(शोध एवं प्रशिक्षण)
संकल्प

विषय:- जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान तथा प्राथमिक शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय में दो वर्षीय पूर्व सेवाकालीन प्रशिक्षण (डिप्लोमा इन एडुकेशन) कोर्स में प्रशिक्षुओं के नामांकन तथा महाविद्यालय के संरचना के विकास हेतु निर्गत, संकल्प संख्या–12/प्रशिक्षण–89/2007–204 पटना दिनांक–19.06.2008 द्वारा निर्गत मार्गदर्शिका का संशोधन ।

राज्य में शिक्षा के सुदृढ़ीकरण हेतु राज्य के सभी प्रशिक्षण महाविद्यालय को अपने आप में आत्म निर्भर बन सकें तथा उन्हें अपने भवनों के रख–रखाव, अन्य भौतिक एवं शैक्षणिक आवश्यकताओं के लिए सरकार पर उनकी निर्भरता कम हो इस हेतु विभागीय संकल्प संख्या–12/प्रशिक्षण–89/2007–204 दिनांक–19.06.2008 को निम्नवत् संशोधन करने का निर्णय लिया है।

2– मानव संसाधन विकास विभाग का संकल्प संख्या–12/प्रशिक्षण–89/2007 204 पटना दिनांक–19.06.2008 का कंडिका 14 को निम्नवत संशोधित किया गया जाता है।

"नामांकन हेतु प्रति अभ्यर्थी प्रतिवर्ष 10,000/– (दस हजार) की राशि शुल्क के रूप में ली जाएगी। अनुसूचित जाति/जनजाति/निशक्त अभ्यर्थियों के लिए यह राशि प्रतिवर्ष 6000/– होगी। यह राशि विद्यार्थियों के मासिक योजना एवं आवास शुल्क को छोड़कर है।

राशि का विवरण निम्नवत है

क्र०सं०	मद	अन्य जाति	अनुसूचित जाति/जनजाति/निशक्त
1	भवन रख–रखाव	5000/–	2800/–
2	बिजली/पेयजल	300/–	200/–
3	रसोई रखरखाव	300/–	200/–
4	छात्रावास व्यवस्था	300/–	200/–
5	खेलकूद	300/–	200/–
6	पुस्तकालय	300/–	200/
7	शैक्षिक भ्रमण	400/–	200/
8	परिचय पत्र एव पुस्तकालय कार्ड	200/–	200/–
9	कौशन मनी	1500/–	1000/
10	प्रयोगशाला	400/–	200/
11	कम्प्यूटर	600/–	300/
12	आंतरिक मूल्यांकन	400/–	300/
	कुल	10,000/	6000/

नोट:- कौशन मनी की राशि दोनों वर्ष के लिये प्रवेश के समय ही ली जायेगी जो महाविद्यालय छोड़ने के समय अभ्यर्थी को वापस कर दी जायेगी।"

3. मानव संसाधन विकास विभाग का संकल्प संख्या–12/प्रशिक्षण–89/2007–204 पटना दिनांक–19.06.2008 के कंडिका 17 अब निम्नवत पढ़ा जायेगा।

"भवन के रखरखाव हेतु गठित समिति में प्राचार्य के अतिरिक्त भवन रखरखाव प्रभारी, छात्रावास प्रभारी एवं छात्र प्रतिनिधि रहेंगे जो रू० 1,00,000/– (एक लाख रूपये) तक की राशि का उपयोग भवन एवं छात्रावास मरम्मति हेतु अपने स्तर से करेंगे परन्तु महाविद्यालय भवन/छात्रावास मरम्मति का प्राक्कलन बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम के अभियंता से बनवाकर ही जमा की जा